जगदीश प्रसाद / बनाम 233/17

दिनांक	आज्ञा पत्र	
23/8/24	पत्रावली पेश। बहस अपीलार्थी सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28/8/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
28/8/24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट.......खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। (हस्ताक्षर) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 283/2012

1 जगदीश प्रसाद पुत्र तुलसीराम मृतक

1/1 भूरी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद

1/2 रामदयाल पुत्र जगदीश प्रसाद

1/3 हरि पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

1/4 हजारी लाल पुत्र जगदीश प्रसाद मृतक

1/4/1 सरोज देवी पत्नी हजारी लाल

1/4/2 जुगल किशोर पुत्र हजारीलाल

1/4/3 मुकेश पुत्र हजारीलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

1/4/4 शायर देवी पुत्री स्व. हजारीलाल पति दीपक

1/4/5 तारा देवी पुत्री स्व. हजारीलाल पति मनोज समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.। हाल निवासी पतिग्रह निवासी लामियां तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

1/4/6 मधुबाला पुत्री स्व. हजारीलाल पत्नी मनोज जाति ब्राह्मण निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.। हाल निवासी पतिगृह ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर सीकर।

1/5 मदनलाल पुत्र जगदीश प्रसाद मृतक

1/5/1 दीपक पुत्र मदनलाल

1/5/2 संदीप पुत्र मदनलाल

1/5/3 जितेन्द्र पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

1/6 महेन्द्र पुत्र जगदीशप्रसाद

1/7 दामोदर पुत्र जगदीशप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बनाम

1 सांवता पुत्र मांगूराम मृतक
1/1 हनुमान पुत्र सांवता
1/2 बीरबल पुत्र सांवता मृत
1/2/1 सुरेश पुत्र बीरबल
1/2/2 मुकेश पुत्र बीरबल
1/2/3 पिन्टू पुत्र बीरबल
1/2/4 कमली बेवा बीरबल
1/2/5 कृष्णा पुत्री बीरबल
1/2/6 मन्जू पुत्री बीरबल
2 जीता पुत्र मांगूराम मृतक
2/1 मोहनलाल पुत्र जीता
2/2 लक्ष्मण पुत्र जीता
2/3 मूलचन्द पुत्र जीता
2/4 गुलाबी देवी पत्नी जीता
2/5 कमला देवी पुत्री जीता
2/6 विमला देवी पुत्री जीता
2/7 संतोष देवी पुत्री जीता
2/8 श्रवणी देवी पुत्री जीता
समस्त जाति मीणा निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
3 धीरा पुत्र मांगूराम मृतक
3/1 मूली देवी बेवाह स्व धीरा जाति मीणा निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

3/2 गीता देवी पुत्री स्व धीरा पत्नी शैतान सिंह मीणा जाति मीणा निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.। हाल निवासी पतिगृह ग्राम मुंडिया जिला टोंक राज.।

3/3 तीजा देवी पुत्री स्व. धीरा पत्नी नन्दकिशोर मीणा जाति मीणा निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.। हाल निवासी पतिगृह ग्राम मुडिया जिला टोक राज.।

3/4 संतोष देवी पुत्री स्व. धीरा पत्नी किशनलाल मीणा जाति मीणा निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.। हाल निवासी पतिगृह गुलाब बाडी वाया शाहपुरा जिला जयपुर।

4 बोदू पुत्र बिलासा

5 किशना पुत्र बिलासा

6 हनुमान पुत्र सांवता जाति मीणा निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर मु. उनवानी जगदीश बनाम सांवता वगै. मु.नं. 195/1988 निर्णय दिनांक 12.06.2012 के तहत प्रतिवादीगण सांवता वगै. द्वारा प्रस्तुत काउन्टर वाद वादीगण के विरूद्ध डिक्री किया गया है।

अपील संख्या 234/2012

1 जगदीश प्रसाद पुत्र तुलसीराम मृतक

1/1 भूरी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

1/2 रामदयाल पुत्र जगदीश प्रसाद

1/3 हरि पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

1/4 हजारी लाल पुत्र जगदीश प्रसाद मृतक

1/4/1 सरोज देवी पत्नी हजारी लाल

1/4/2 जुगल किशोर पुत्र हजारीलाल

1/4/3 मुकेश पुत्र हजारीलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

1/4/4 ायर देवी पुत्री स्व. हजारीलाल पति दीपक

1/4/5 तारा देवी पुत्री स्व. हजारीलाल पति मनोज समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.। हाल निवासी पतिग्रह निवासी लामियां तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

1/4/6 मधुबाला पुत्री स्व. हजारीलाल पत्नी मनोज जाति ब्राह्मण निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.। हाल निवासी पतिगृह ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर सीकर।

1/5 मदनलाल पुत्र जगदीश प्रसाद मृतक

1/5/1 दीपक पुत्र मदनलाल

1/5/2 संदीप पुत्र मदनलाल

1/5/3 जितेन्द्र पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

1/6 महेन्द्र पुत्र जगदीशप्रसाद

1/7 दामोदर पुत्र जगदीशप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

1 सांवता पुत्र मांगूराम मृतक
1/1 हनुमान पुत्र सांवता
1/2 बीरबल पुत्र सांवता मृत
1/2/1 सुरेश पुत्र बीरबल
1/2/2 मुकेश पुत्र बीरबल
1/2/3 पिन्टू पुत्र बीरबल
1/2/4 कमली बेवा बीरबल
1/2/5 कृष्णा पुत्री बीरबल
1/2/6 मन्जू पुत्री बीरबल
2 जीता पुत्र मांगूराम मृतक
2/1 मोहनलाल पुत्र जीता
2/2 लक्ष्मण पुत्र जीता
2/3 मूलचन्द पुत्र जीता
2/4 गुलाबी देवी पत्नी जीता
2/5 कमला देवी पुत्री जीता
2/6 विमला देवी पुत्री जीता
2/7 संतोष देवी पुत्री जीता
2/8 श्रवणी देवी पुत्री जीता

समस्त जाति मीणा निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

3 धीरा पुत्र मांगूराम मृतक

3/1 मूली देवी बेवाह स्व धीरा जाति मीणा निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

3/2 गीता देवी पुत्री स्व धीरा पत्नी शैतान सिंह मीणा जाति मीणा निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.। हाल निवासी पतिगृह ग्राम मुंडिया जिला टोंक राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

3/3 लीला देवी पुत्री स्व. धीरा पत्नी नन्दकिशोर मीणा जाति मीणा निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.। हाल निवासी पतिगृह ग्राम गुडिया जिला टोंक राज.।

3/4 संतोष देवी पुत्री स्व. धीरा पत्नी किशनलाल मीणा जाति मीणा निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.। हाल निवासी पतिगृह गुलाब बाडी वाया शाहपुरा जिला जयपुर।

4 बोदू पुत्र बिलासा

5 किशना पुत्र बिलासा

6 हनुमान पुत्र सांवता जाति मीणा निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर मु. उनवानी जगदीश बनाम सांवता वगै. मु.नं. 195/88 दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा निर्णय दिनांक 12.06.2012 के तहत वाद वादी खारिज किया गया है।

उपस्थिति :

1. श्री बजरंग सिंह राजपूत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

21.5

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

—निर्णय—

दिनांकः—22.2.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 195/88 में पारित निर्णय दिनांक 12.06.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलें एक ही निर्णय के विरूद्ध होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा बावत भूमि खसरा नम्बर नये 815, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 873, 874, 875 वाके ग्राम सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण ने काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर उद्घोषणा चाही। विचारण न्यायालय ने वाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वादीगण अपीलांट का वाद खारिज कर दिया एवं प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत 2042 प्रदर्श 1 तथा नकल जमाबन्दी सम्वत 2033 से 2036 प्रदर्श 2 एवं पर्चा खतौनी प्रदर्श 3 तथा एएसओ का निर्णय दिनांक 13.10.1955 प्रदर्श 4 एवं रेस्पोडेन्ट सांवता की ओर से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रदर्श 6 व इसका जवाब प्रदर्श 7 प्रस्तुत किये गये। साथ ही साथ प्रदर्श 8 से 41 लगान जमा कराने की रसीदें प्रस्तुत की गई। जबकि इसके विपरित प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट पक्ष की ओर से मात्र गिरदावरियां व कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत किये। इस दस्तावेजी साक्ष्य व राजस्व रिकार्ड के अनुसार अपीलान्टस रिकार्डेड खातेदार है और विवाद्यक संख्या 1 स्थायी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निषेधाज्ञा के लिए बना हुआ है। रिकार्डेड खातेदार के पक्षकार में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। इसके विपरित अगर प्रतिपक्षी काबिज भी हो तो उसे अतिक्रमी ही माना जाता है और रिकार्डेड खातेदार के विपरित कानूनन निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। स्वीकृत रूप में अपीलान्ट वादीगण रिकार्डेड खातेदार है और अपनी खातेदारी अधिकारों के संबंध में राजस्व रिकार्ड विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। एएसओ के निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण की ओर से कोई आगे चाराजोही नहीं की गई। एएसओ का निर्णय अंतिम है। जिसके आधार पर भी अपीलान्ट/वादीगण रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। नियत अवधि में रेस्पोडेन्टस के द्वारा अपनी खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही रेस्पोडेन्टस की ओर से कोई कार्यवाही की गई। इसलिए धारा 15 की उपधारा 3 (2) के अनुसार अवधिबाधित हो जाने के कारण रेस्पोडेन्टस को मौजूदा काउण्टर वाद के तहत खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा करवाने का कोई अधिकार नहीं है और रेस्पोडेन्टस की ओर से प्रस्तुत वाद निरस्त होते हुए भी विचारण न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की अवहेलना कर काउंटर वाद में चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित किया गया जो स्थिर रहने योग्य नहीं है। काश्तकारी अधिनियम सन 1955 में लागू हुआ और जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम सन 1952 में लागू हुआ। इसलिए रेस्पोडेन्टस अधिक से अधिक सन 1958 तक अपनी खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा के लिए वाद प्रस्तुत कर सकते थे। जबकि प्रस्तुत काउंटर वाद दिनांक 16.11.1990 में प्रस्तुत किया गया। यह काउण्टर वाद स्पष्ट रूप से अवधि बाधित है। विधिक स्थिति के अनुसार मात्र गिरदावरियों के आधार पर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टस को खातेदारी अधिकारी नहीं दिये जा सकते। जो गिरदावरियां रेस्पोडेन्टस की ओर से प्रस्तुत की गई उनमें भी ऐसी कोई स्थिति नहीं आई कि रेस्पोडेन्टस लंबे समय से विवादित भूमियों पर काबिज हो। कानूनन भी मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती। अपीलान्ट वादीगण का वाद स्थायी निषेधाज्ञा का है और निषेधाज्ञा के लिए वादकारण उत्पन्न होने पर वाद प्रस्तुत किया जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी (व) पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपीलान्ट/वादीगण ने अपने वादपत्र के पैरा नम्बर 5 में वादकारण दिनांक 10.06.1988 का बताया गया है। इस वादकारण के आधार पर किस तरह से वाद अवधिबाधित है। यह इस विवाद्यक के निर्णय में विचारण न्यायालय ने स्पष्ट नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने सहायक भू प्रबंध अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र को आधार बनाकर साढे सात वर्ष पश्चात वाद प्रस्तुत करने का आधार लिया है जो वादकारण के कथनों के विपरित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार कर अपीलांट का वाद डिक्री किया जावें एवं काउंटर क्लेम खारिज किया जावें। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2012(2) पेज 967, आरआरटी 2011–12 सप्ली. पेज 94 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वाद कथन जवाब दावे व काउंटर क्लेम के आधार पर 6 तनकीयात कायम की गई थी। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई तनकीवार विवेचन कर वादी अपीलांट का वाद खारिज किया है एवं प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट का काउंटर क्लेम स्वीकार किया। विचारण न्यायालय में पत्रावली में प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सहायक भूप्रबंध अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन दिनांक 28.03.81 मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 18.06.1988, पत्रावली में प्रस्तुत जमावंदी एवं मौखिक साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय से रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त होना प्रमाणित है। कब्जे के अभाव में वादी अपीलांट का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद खारिज करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय से रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त सावित होने से एवं वादी की रेस्पोडेन्ट के कब्जे की स्वीकारोक्ति

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के आधार पर विचारण न्यायालय ने काउंटर क्लेम स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्गत है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वाद कथन जवाव दावे व काउंटर क्लेम के आधार पर 6 तनकीयात कायम की गई थी। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई तनकीवार विवेचन कर वादी अपीलांट का वाद खारिज किया है एवं प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट का काउंटर क्लेम स्वीकार किया। विचारण न्यायालय में पत्रावली में प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सहायक भूप्रबंध अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन दिनांक 28.03.81 मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 18.06. 1988, पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी एवं मौखिक साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय से रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त होना प्रमाणित है। कब्जे के अभाव में वादी अपीलांट का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद खारिज करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय से रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त साबित होने से एवं वादी की रेस्पोडेन्ट के कब्जे की स्वीकारोक्ति के आधार पर विचारण न्यायालय ने काउंटर क्लेम स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेव [illegible])
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर